भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1276

दिनांक 10 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

उच्च क्षमता वाले विद्युत खंभों और तारों की मजबूती पर रिपोर्ट

1276. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में उच्च क्षमता वाले विद्युत खंभों और तारों के गिरने की घटनाओं से अवगत है;

(ख) महाराष्ट्र और गुजरात में उच्च क्षमता वाले विद्युत खंभों और तारों के गिरने की घटनाओं को देखते हुए, केंद्र सरकार ने इन राज्य सरकारों के साथ मिलकर अब तक उच्च क्षमता वाले विद्युत खंभों और तारों की मजबूती का नियमित रूप से आकलन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) विद्युत कंपनियों द्वारा उच्च क्षमता वाले विद्युत खंभों और तारों की मजबूती के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को आवश्यक न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, विद्युत का वितरण एक लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है और संबंधित वितरण लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य है कि वह अपने आपूर्ति क्षेत्र में एक कुशल, सुरक्षित और किफायती वितरण प्रणाली विकसित करे और उसे बनाए रखे। इसलिए, वितरण यूटिलिटी की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रचालन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए हाई टेंशन (एचटी)/लो टेंशन (एलटी) लाइनों के खंभों/तारों की मजबूती की जाँच सहित वितरण प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक उपाय करें।

सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023, विद्युत स्टेशनों, सब-स्टेशनों, पारेषण और वितरण लाइनों के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करते हैं। विनियम गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों सहित देश में विद्युत प्रतिष्ठानों, ओवरहेड लाइनों आदि के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को निर्धारित करते हैं। ये विनियम सभी विद्युत प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं, जिनमें विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनें और विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति या खपत जैसी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या संस्थाएँ शामिल हैं। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य द्वारा उठाए गए कदम अनुबंध पर संलग्न हैं।

इसके अलावा, सीईए (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 में आपदा संभावित क्षेत्रों/तटीय क्षेत्रों में खंभों/तारों के सुदृढ़ीकरण करने के प्रावधान हैं:

i. तटीय क्षेत्रों में, रेल पोल या स्पन पोल जैसे अधिक सुदृढ़ पोल का उपयोग किया जाना चाहिए या भूमिगत केबल का उपयोग किया जाना चाहिए।
ii. जंग लगने को रोकने के लिए तटीय क्षेत्रों में नंगे कंडक्टरों पर उपयुक्त इन्सुलेटिंग पेंट प्रदान किया जाना चाहिए।

सीईए ने मई, 2021 में "तटीय क्षेत्र में चक्रवात प्रतिरोधी मजबूत विद्युत पारेषण और वितरण (टीएंडडी) अवसंरचना पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट" भी तैयार की, जिसे जून, 2021 में विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को भेजा गया, ताकि रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों को अपनाया जा सके और चक्रवातों से निपटा जा सके तथा उनके प्रभाव को कम किया जा सके।

क. महाराष्ट्र राज्य द्वारा उठाए गए कदम

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से घटनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करती है और रिपोर्ट करती है तथा विद्युत के अवसंरचना की स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करती है। नियमित समीक्षा की जाती है, तथा व्यवधानों और जोखिमों को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। एमएसईडीसीएल के माध्यम से राज्य सरकार ने उच्च-तनाव वाले विद्युत ऊर्जा अवसंरचना की अखंडता का नियमित रूप से आकलन करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। महाराष्ट्र में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. आवधिक निरीक्षण: एमएसईडीसीएल संभावित कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए विद्युत के खंभों और वितरण लाइनों का नियमित निरीक्षण और रखरखाव करता है।

ii. संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण: स्थायित्व और स्थिरता बढ़ाने के लिए पुराने और कमजोर खंभों को मजबूत, संक्षारण प्रतिरोधी विकल्पों से बदलना।

iii. निवारक रखरखाव: लटकते तारों को कसने, संपर्क को रोकने के लिए पेड़ों की छंटाई और कमजोर क्षेत्रों में खंभों को सक्रिय रूप से मजबूत करने सहित नियमित रखरखाव गतिविधियाँ।

iv. आपदा तैयारी: विद्युत अवसंरचना पर चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र का कार्यान्वयन।

v. विनियामक निकायों के साथ सहयोग: एमएसईडीसीएल सुरक्षा और अवसंरचना के रखरखाव में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एनईआरसी) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के साथ मिलकर काम करता है। एमएसईडीसीएल अवसंरचना के मूल्यांकन और सुरक्षा के लिए कड़े आंतरिक प्रोटोकॉल का पालन करता है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करता है कि विद्युत वितरण नेटवर्क का नियमित रूप से मूल्यांकन और रखरखाव किया जाता है। एमएसईडीसीएल अपने प्रचालन संबंधी अनुपालन के हिस्से के रूप में एमईआरसी को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और अवसंरचना के अनुकूलन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करना जारी रखता है।

ख. गुजरात राज्य द्वारा उठाए गए कदम

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गुजरात राज्य में सक्रिय उपाय किए जाते हैं, जैसे कि संभावित आपदा स्थलों पर खंभे और तारों को पहले से ही पहुंचाना। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील स्थानों पर खंभे और तार लगाने वाले ठेकेदारों से पर्याप्त जनशक्ति तैयार रखी जाती है। हाई-टेंशन विद्युत के खंभे या तार के गिरने की स्थिति में, चक्रवात के थमते ही सुधार के उपाय तुरंत लागू किए जाते हैं, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल हो सके।

इसके अलावा, हाई टेंशन और एक्स्ट्रा हाई-टेंशन लाइनों और कंडक्टरों की नियमित गश्त, फॉल्ट ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन के दौरान यूटिलिटी कर्मचारियों द्वारा जाँच की जाती है, जिसमें टावरों/खंभों के हिस्सों जैसे क्रॉस आर्म्स, इंसुलेटर, हार्डवेयर और कंडक्टर, जंपर्स की नियमित अंतराल पर जाँच की जाती है। इसके अलावा, नींव, स्टब, टावरों/एच-फ्रेम संरचनाओं के सदस्यों का मूल्यांकन किया जाता है और सामान्य तरीके से सुधार किया जाता है, जबकि स्टब सुदृढ़ीकरण, खराब संरचनाओं को बदलना सालाना आधार पर मरम्मत और रखरखाव (आरएंडएम) योजना के तहत किया जाता है।

****